न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर०ए०एस०

प्रकरण संख्या 36 / 2018 (उदयपुर आर्डर)

1. नारू पिता रता जी डांगी, निवासी जुनावास, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. रामलाल पिता गाठाराम जी डांगी, निवासी जुनावास, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. प्रवीण पिता हीरालाल जी नाई, निवासी खेमली गांव, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. सुनील पिता हीरालाल जी नाई, निवासी खेमली गांव, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
3. मु० गीता बेवा हीरालाल जी नाई, निवासी खेमली गांव, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती प्रेम देवी (पिता हीरालाल जी) पत्नी मांगीलाल जी नाई, निवासी थूर, हाल खेमली स्टेशन, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती मुन्ना देवी (पिता हीरालाल जी) पत्नी लक्ष्मीलाल जी नाई, निवासी गुडली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
6. श्रीमती सीमा (पिता हीरालाल जी) पत्नी शंकरलाल जी नाई, निवासी मीठाराम जी का खेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान
भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध
निर्णय जिला कलक्टर उदयपुर दि.
08–06–2018, प्रकरण सं0 9 / 17

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) : 1– श्री ओकारलाल डांगी अभिभाशक अपीलान्टगण

2– श्री नूतन माहेश्वरी अभिभाषक रेस्पो. सं. 1 से 6

3– श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक रे.सं. 7

———::———

निर्णय दिनांक

18–06–2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा जूनावास में आराजी नंबर 3473 रकबा 9 बीघा भूमि स्थित है, जो विपक्षीगण के पूर्वाधिकारी श्री हीरालाल पिता गेहरीलाल नाई को दिनांक 25–09–1979 को नियमों के विपरीत आवंटित की गयी है। उक्त आराजी के उत्तरी दिशा में प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी नंबर 3439 स्थित होकर प्रार्थीगण की आराजी से मिली हुई होकर एक चक में है, जिस पर प्रार्थीगण का वर्षो से कब्जा चला आ रहा है तथा पिलाई हेतु आराजी नंबर 3473 से पाईप लाईन डाल रखी है तथा काफी खर्चा कर काफी आबादान किया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के कब्जे शुदा भूमि का कानूनन आवंटन नहीं किया जा सकता। प्रार्थीगण भूमिहीन काश्तकार है तथा वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के नाम नियमन योग्य है। आवंटी हीरालाल भूमिहीन काश्तकार नहीं होकर रेलवे विभाग में नौकरी करता था तथा आवंटन पूर्व उद्घोषणा जारी नहीं हुई है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं करने के कारण आवंटित भूमि से 3 बीघा 17 बिस्वा भूमि गैर खातेदारी में दर्ज है तथा शेष भूमि आज भी बिलानाम दर्ज है। अतः उक्त आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि पुनः बिलानाम सरकार दर्ज की जावे तथा प्रार्थीगण के नाम नियमन किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

विपक्षीगण द्वारा खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर बताया कि उनके पिता को भूमि नियमानुसार आवंटन किया गया जाकर कब्जा सिपुर्द किया गया तथा उनकी मृत्यु के बाद विपक्षीगण काबिज हैं।

वक्त आवंटन होरालाल जी रेलवे में कार्यरत नहीं थे तथा आवंटन नियमों की अवहेलना नहीं की गयी है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 08–06–2018 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र साबित नहीं पाये जाने के आधार पर खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 02–07–2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 6 की ओर से वकील श्री नूतन माहेश्वरी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7 औपचारिक पक्षकार की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाशक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस मं बताया कि पटवारी हल्का ने जांच रिपोर्ट आराजी नंबर 3473 के संबंध में नहीं भेजी थी, बल्कि आराजी नंबर 3475 के संबंध में थी तथा आवंटन पूर्ण कोरम में नहीं किया गया है। विवादित भूमि पर कब्जा अभी भी अपीलान्टगण का है, रेस्पोन्डेन्टगण का कब्जा नहीं है तथा आवंटन धोखे से प्राप्त किया गया है। खसरा गिरदावरियों से स्पष्ट है कि आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गयी है। अधिनस्थ न्यायालय ने कथित प्रकरण को बिना समझे जल्दबाजी में निर्णय पारित किया है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त करते हुए कथित आवंटन निरस्त किया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि उनके पिता को आवंटन विधिवत किया जाकर कब्जा सिपुर्द किया गया तथा उनकी मृत्यु के बाद रेस्पोन्डेन्टगण काबिज चले आ रहे हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उभयपक्षों को सुनकर विधिवत निर्णय

पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने पत्रावली के अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तो यह पाया कि रेस्पोन्डेन्ट/विपक्षीगण के पिता हीरालाल को दिनांक 25–09–1979 को आवंटन किया जाकर कब्जा सिपुर्द किया गया है तथा जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 में आवंटी हीरालाल का नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज है तथा उनकी मृत्यु पर विरासत का नामान्तरकरण संख्या 821 रेस्पोन्डेन्ट/विपक्षीगण के नाम स्वीकृत हुआ है। उक्त आवंटन वर्ष 1979 में किये जाने के बाद अपीलान्ट/प्रार्थीगण द्वारा वर्ष 2017 में अर्थात करीब 38 वर्ष बाद उक्त आवंटन निरस्ती का आवेदन प्रस्तुत किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में उभयपक्षों को सुनने के बाद विस्तृत विवेचन करते हुए यह माना है कि विपक्षीगण द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गयी हो इस संबंध में प्रार्थीगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। अधिनस्थ न्यायालय ने यह भी विवेचन किया है कि विवादित भूमि से प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि लगती होने के आधार पर प्रार्थीगण का कोई स्वत्व नहीं बनता है, जो प्रतीत होता ह, तद्नुसार हम अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 08–06–2018 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 18–06–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर